


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

20/07/2019

करीम नं. 36) के प्रतिवादी को न केवल एम्बरका  
कार्यवाही हो चुके थे अतः करील को भी न केवल  
आस्थापी विपक्षिता से नवीन सुनवाई में स्वीकार  
रिज्या जाता है इसलिये न केवल 18/07/2018 से  
हल मास से विनिमय तक कार्यवाही रिज्या जाता है  
पश्चात् पीछे सुनवाई करीम को न केवल  
रिज्या हल मास से शामिल हो जावे।

  
(सौ. अ. ल. शर्मा)  
R.S.

सपखण्ड अधिकारी  
दोंक (राज्य)